


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]
No. 131]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 2008/श्रावण 21, 1930
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 2008/SRAVANA 21, 1930

भारतीय रिजर्व बैंक
अधिसूचना
मुम्बई 12 अगस्त, 2008

भुनिप्रवि194/02-11-01/2007-2008.—भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उपधारा (1) के अनुसरण में रिजर्व बैंक एतद्वारा अनुलग्न भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड विनियमावली, 2008 प्रकाशित करता है। यह उसी दिनांक से लागू होगा जिस दिनांक से केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 38 के प्रावधान लागू किये गये हैं।

जी. गोपालकृष्णा, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन III/IV/असा./187-जे/08]

भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड विनियमावली, 2008
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निम्न लिखित विनियम बनाता है:-

लघु शीर्षक और प्रारम्भ:- (1) इन विनियमों को भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड विनियमावली, 2008 कहा जाएगा।

(2) शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ये लागू हो जाएँगे।

2. **परिभाषाएँ:-** (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्य प्रकार की अपेक्षा न की गई हो, तो :-
(क) 'अधिनियम' का अर्थ है भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51);

- (ख) 'बैंक' का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के तहत गठित भारतीय रिज़र्व बैंक;
- (ग) 'केंद्रीय बोर्ड' का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 के तहत गठित भारतीय रिज़र्व बैंक का केंद्रीय निदेशक-बोर्ड;
- (घ) 'बोर्ड' का अर्थ है वह समिति जिसे इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत गठित भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड के रूप में जाना गया है;
- (ङ.) 'निदेशक' का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) और (ग) के तहत नामित केंद्रीय बोर्ड के निदेशक;
- (च) 'सामान्य विनियम' का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के तहत निर्मित भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949;
- (छ) 'सदस्य' का अर्थ है बोर्ड का सदस्य;

(2) इसमें प्रयुक्त अन्य अपरिभाषित लेकिन अधिनियम या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो उन अधिनियमों में निर्धारित किया गया है।

3. बोर्ड का गठन :-

- (1) केंद्रीय बोर्ड की एक समिति होगी जिसे "भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड" के रूप में जाना जाएगा;
- (2) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
- (क) बैंक के गवर्नर, इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे;
- (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नरों में से भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के प्रभारी उप-गवर्नर इस बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे;
- (ग) बैंक के केंद्रीय बोर्ड में से बैंक के गवर्नर द्वारा नामित निदेशक जिनकी संख्या तीन से अधिक नहीं होगी।
- (3) अध्यक्ष द्वारा नामित दो कार्यपालक निदेशक और बैंक के प्रधान विधि परामर्शदाता बोर्ड की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित किए जाएंगे।
- (4) भुगतान और निपटान प्रणाली के क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों को बोर्ड की बैठक में शामिल होने के लिए स्थायी या तदर्थ रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

4. बोर्ड के कार्य और शक्तियाँ:-

(1) बोर्ड के कार्य और शक्तियाँ इस अधिनियम के तहत भुगतान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए होंगे:

(2) विशेषतया और पूर्ववर्ती प्रावधानों की व्यापकता के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के बोर्ड के कार्यों और शक्तियों में निम्नलिखित शामिल होंगे, यथा -

- (क) भुगतान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए नीतियाँ तैयार करना, भुगतान प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक, गैर-इलेक्ट्रॉनिक, स्वदेशी और स्वदेशी लेनदेन को प्रभावित करने वाली विदेशी भुगतान प्रणालियाँ शामिल है;
- (ख) विद्यमान और भविष्य की भुगतान प्रणालियों के लिए मानक निर्धारित करना;
- (ग) भुगतान प्रणालियों को अधिकृत करना;
- (घ) भुगतान प्रणालियों की सदस्यता की निरन्तरता, समापन और सदस्यता को अस्वीकृत करने के मानदंडों का निर्धारण;

- (ड) इस अधिनियम के तहत निर्मित विनियमों और दिशानिर्देशों के प्रशासन और भुगतान प्रणालियों के संचालकों और उनके सदस्यों को बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझी गई कार्रवाई की देखरेख करना;
- (च) भुगतान प्रणालियों के प्रभावी विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए विद्यमान नियमावली और विनियमावली के दायरे में रहते हुए आवश्यक प्रशासनिक संरचना का सृजन करना;
- (छ) अन्य उपाय जो भुगतान प्रणालियों के प्रभावी विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझे जाएँ।

5. बोर्ड की सहायता:- (1) बोर्ड की सहायता के लिए भुगतान और प्रणाली विभाग है, जो बोर्ड को रिपोर्ट करेगा।

(2) यदि आवश्यक हुआ तो बोर्ड द्वारा अतिनियुक्त या संविदा या निर्धारित समय के आधार पर अन्य कार्मिकों की सहायता ली जा सकेगी; इन कार्मिकों की नियुक्ति बोर्ड की सिफारिश पर बैंक द्वारा की जाएगी।

6. पद रिक्त होना:- विनियम 3 के उप-विनियम (2) के खंड (ग) के तहत नामित कोई सदस्य यदि अध्यक्ष की अनुमति लिए बिना बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो वह नामांकित पद रिक्त मान लिया जाएगा।

7. बोर्ड की ओर से शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा:- सामान्य विनियमावली के विनियम 17 के उप-विनियम (1) में निहित किसी भी तथ्य के बावजूद, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों और बैंक द्वारा या बैंक की ओर से किए जाने वाले व्यय के बारे में केंद्रीय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम और बैंक के कारोबार को चलाने के लिए बोर्ड द्वारा सामान्यतया या विशेष तौर पर केंद्रीय बोर्ड द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों की शर्तों के अधीन, इस बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा निम्नानुसार सीमा तक किया जाएगा;

- (क) अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में उप-अध्यक्ष द्वारा भी उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों तथा विषयों का निपटान किया जा सकेगा जिनका प्रयोग या निष्पादन बोर्ड द्वारा किया जा सकता है;
- (ख) खण्ड (क) के उपबन्ध के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के आवश्यक समझने पर अध्यक्ष द्वारा सामान्य या विशेष आदेश देकर, उप-अध्यक्ष या किसी सदस्य को, आदेश विशेष में निहित शर्तों और सीमाओं के अधीन इनमें से कोई भी शक्ति प्रदान की जा सकेगी जिनका प्रयोग अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है, ताकि बोर्ड के कार्यों का संचालन कुशलता से हो सके;
- (ग) बैंक का कोई अन्य अधिकारी, यदि प्राधिकृत हो, और बोर्ड द्वारा जितनी सीमा तक उसे प्राधिकृत किया गया है उस सीमा तक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग से सम्बद्ध मामलों में सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

8. सामान्य विनियमों की प्रयोजनीयता:- सामान्य विनियमावली के निम्नलिखित उपबंधों को, यथा परिवर्तित रूप में, निम्नानुसार लागू किया जाएगा, यथा:-

- (क) सामान्य विनियमावली के विनियम 3, 4, 7, 13 और 24 बोर्ड के सदस्यों पर लागू होंगे;

- (ख) विनियम 3 और 24 उन आमंत्रितों पर लागू होंगे जो विनियम 3 के उप-विनियम (3) और (4) में उल्लिखित बोर्ड की बैठकों; विनियम 10 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित उप-समितियों की बैठकों में आमंत्रित किए गए हैं, और परामर्शदाता समितियों के सदस्यों के रूप में आमंत्रित किए गए हैं।

9. बोर्ड की बैठकें और कोरम;

- (1) बोर्ड की बैठक हर तीन माह में एक बार की जाएगी, स्थान के लिए अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाएगा;
- (2) सदस्यों को पर्याप्त समय रहते नोटिस दिया जाएगा ताकि वे बैठक में शामिल हो सकें;
- (3) बोर्ड की बैठक करने के लिए कोरम इस प्रकार होगा - तीन सदस्य जिनमें अध्यक्ष या उप-अध्यक्ष शामिल हैं और विनियम 3 के उप-विनियम (2) के खंड (ग) के तहत नामित एक सदस्य;
- (4) इन विनियमों में अन्य प्रकार से प्रावधानों के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) और सामान्य विनियमावली के प्रावधान बोर्ड की बैठकों पर उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार से केंद्रीय बोर्ड की बैठकों पर लागू होते हैं।

10. उप-समितियों और सलाहकार समितियों का गठन:- (1) बोर्ड द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता या सलाह देने के लिए समय-समय पर यथा आवश्यकता अनुसार उप-समितियों, परामर्शदाता समितियों का गठन किया जा सकेगा।

(2) उप-समिति को यह शक्ति होगी कि वह भुगतान और निपटान प्रणालियों के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोगों को उस समिति की बैठक में आमंत्रित कर सकती है।

11. केंद्रीय बोर्ड को रिपोर्ट:- बोर्ड द्वारा वार्षिक आधार पर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

फाइल सं.

नाम.

पदनाम.

RESERVE BANK OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 12th August, 2008

DPSS/194/02-11-01/2007-2008.—In pursuance of sub-section (1) of section 38 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), the Reserve Bank hereby publishes the annexed Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems Regulations, 2008 which shall come into force from the date on which the provisions of Section 38 of the said Act is brought into force by the Central Government.

G. GOPALAKRISHNA, Executive Director
[ADVT III/IV/Exty./187 J/08]

ANNEX**Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems Regulations, 2008**

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (2) of Section 38 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), the Reserve Bank of India hereby makes the following regulations, namely:-

Short title and commencement :- (1) These Regulations may be called the Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems Regulations, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :- (1) In these regulations, unless, the context otherwise requires:-

- (a) 'Act' means the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007);
- (b) 'Bank' means the Reserve Bank of India constituted by the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
- (c) 'Central Board' means the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India constituted under Section 8 of the Reserve Bank of India Act (2 of 1934);
- (d) 'Board' means the committee known as the Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems constituted under Sub-section (2) of Section 3 of the Act;
- (e) 'Director' means the Director of the Central Board nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (1) of Section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
- (f) 'General Regulations' means the Reserve Bank of India General Regulations, 1949 made under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
- (g) 'Member' means a member of the Board;

(2) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act or the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

3. Composition of Board :-

- (1) There shall be a committee of the Central Board to be known as the "Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems".
- (2) The Board shall consist of the following Members, namely :-
 - (a) Governor of the Bank who shall be the Chairperson of the Board;
 - (b) Deputy Governors of the Bank, out of whom the Deputy Governor who is in charge of the Department of Payment and Settlement Systems, shall be the Vice-Chairperson of the Board;
 - (c) Not more than three Directors of the Central Board nominated by the Governor of the Bank
- (3) Two Executive Directors nominated by the Chairperson and the principal Legal Adviser in the Bank shall be permanent invitees to the meetings of the Board.
- (4) Persons with experience in the fields of payment and settlement systems may be invited by the Board to attend its meetings either as permanent or as ad-hoc invitees.

4. Functions and powers of the Board:- (1) The functions and powers of the Board shall pertain to the regulation and supervision of payment systems under the Act.

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the functions and powers of the Board shall include the following matters, namely:-
 - (a) the laying down of the policies relating to the regulation and supervision of the payment systems including electronic, non-electronic, domestic and cross-border payment systems affecting domestic transactions;
 - (b) the laying down of the standards for both existing and future payment systems;
 - (c) the authorization of the payment systems;
 - (d) the determination of the criteria for membership of the payment systems including continuation, termination and rejection of membership;
 - (e) Overseeing the administration of regulations and guidelines framed under the Act for the purposes of the above matters and the directions issued by the Bank from time to time to the operators of the payment systems and their members and

taking such action as may be deemed necessary for ensuring the compliance;

- (f) creating necessary administrative structure within the existing rules and regulations for ensuring effective regulation and supervision of the payment systems;
- (g) such other matters as are deemed necessary for the effective regulation and supervision of payment systems.

5. Assistance to the Board :- (1) The Board shall be assisted by the Department of Payment and Settlement Systems which shall report to the Board.

(2) The Board may, if necessary, obtain assistance from other personnel on deputation or on contract or tenure basis, as may be appointed by the Bank on the recommendation of the Board.

6. Vacation of Office :- A Member nominated under clause (c) of sub-regulation (2) of regulation 3 shall cease to hold office if he absents himself without the leave of the Chairperson from three consecutive meetings of the Board.

7. Powers on behalf of the Board by whom to be exercised :- Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) of Regulation 17 of the General Regulations, but subject to the provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934 and any regulation made by the Central Board in regard to expenditure to be incurred by or on behalf of the Bank and any direction which may be given by the Central Board generally or in particular with regard to the conduct of the business of the Bank, the powers of the Board may be exercised by the following persons to the extent mentioned hereunder:-

- (a) The Chairperson and in his absence the Vice-Chairperson may also exercise all powers and do all acts and things, which may be exercised or done by the Board;
- (b) Without prejudice to the provisions of clause (a), the Chairperson may, by general or special order, delegate to the Vice-Chairperson or a member, subject to such conditions and limitations, if any, as may be specified in the order, any of the powers exercisable by him under these regulations as he may deem necessary for the efficient administration of the functions of the Board;
- (c) Any other officer of the Bank, if authorized, and to the extent that he is so authorized by the Board, may exercise all the powers in relation to matters pertaining to the Department of Payment and Settlement Systems.

8. Applicability of the General Regulations :- The following provisions of the General Regulations shall apply, *mutatis mutandis*, as specified below, namely:-

- (a) regulations 3, 4, 7, 13 and 24 of the General Regulations shall apply to the Members of the Board.
- (b) regulations 3 and 24 shall apply to the invitees to the meetings of the Board referred to in sub-regulations (3) and (4) of regulation 3, the invitees to the meetings of the sub-committees referred to in sub-regulation (2) of regulation 10 and the members of the advisory committees.

9. Meetings of the Board and Quorum :-

- (1) The Board shall ordinarily meet at least once in three months at such place as may be decided by the Chairperson from time to time.
- (2) Members shall be given sufficient notice to enable them to attend the meetings.
- (3) The quorum for holding a meeting of the Board shall be three Members and shall include the Chairperson or the Vice-Chairperson and a Member nominated under clause (c) of sub-section (2) of regulation 3.
- (4) Save as otherwise provided in these regulations the provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and the General Regulations shall apply to meetings of the Board, as if they were meetings of the Central Board.

10. Constitution of Sub-Committees and Advisory Committees :- (1) The Board may constitute Sub-Committees or Advisory Committees for providing assistance or advice in the performance of its functions, as may be considered necessary from time to time.

(2) A Sub-Committee shall have power to invite persons with experience in the fields of Payment and Settlement Systems to attend the meetings of that Committee.

11. Report to the Central Board :- The Board shall submit a report to the Central Board on an annual basis.

File No.....

Name

Designation

भारतीय रिजर्व बैंक

अधिसूचना

मुम्बई 12 अगस्त, 2008

धुनिप्रवि194/02-11-01/2007-2008.—भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007

का 51) की धारा 38 की उप-धारा (1) के अनुसरण में रिजर्व बैंक एतद्वारा अनुलग्न भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 प्रकाशित करता है। यह उसी दिनांक से लागू होगा जिस दिनांक से केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 38 के प्रावधान लागू किये गये हैं।

जी. गोपालकृष्णा, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन III/IV/असा./187-जे/08]

अनुलग्नक

भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (ख) से (च) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए गए हैं; यथा:

अध्याय I

प्रारंभ

1. लघुशीर्षक और प्रारंभ:- (1) इन विनियमों को भुगतान और निपटान प्रणाली, विनियमावली, 2008 कहा जाएगा

(2) यह विनियमावली शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. परिभाषाएँ:-

(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्य प्रकार से अपेक्षित नहीं हो, तो:-

- (क) 'अधिनियम' का अर्थ है भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51);
- (ख) 'बैंक' का अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) द्वारा गठित भारतीय रिजर्व बैंक;
- (ग) 'प्राधिकृत प्रमाणपत्र' का अर्थ है ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत बैंक द्वारा जारी प्राधिकृति निहित है।

(2) इसमें प्रयुक्त अन्य अपरिभाषित लेकिन अधिनियम या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो उन अधिनियमों में निर्धारित किया गया है।

अध्याय II

भुगतान प्रणालियों को प्राधिकृत करना

3. भुगतान प्रणाली की शुरुआत या उसे चलाते रहने के लिए प्राधिकृत करने के लिए आवेदन करना -

- (1) प्रत्येक व्यक्ति जो भुगतान प्रणाली शुरू करने या चलाते रहने का इच्छुक हो (इसके बाद 'आवेदक' के रूप में उल्लिखित) इस अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन बैंक को प्रस्तुत करे ताकि अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत उसे प्राधिकृत किया जा सके।
- (2) उप-विनियम (1) के तहत यह आवेदन फार्म-अ में प्रस्तुत किया जाए जो बैंक के मुम्बई स्थिति केंद्रीय कार्यालय के भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के मुख्य महाप्रबंधक या इसके लिए विनिर्धारित किसी अन्य कार्यालय या अधिकारी को सम्बोधित किया जाए।

- (3) उप-विनियम (1) के तहत प्रस्तुत आवेदन के साथ रु.10,000/- का अप्रतिदेय शुल्क भी दिया जाए जो नकद या इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या बैंक के पक्ष में आहरित चेक या भुगतान आदेश या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हो सकता है।

4. प्राधिकृति प्रमाणपत्र प्रदान करना :-

- (1) आवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरणों पर विचार करने के बाद यदि बैंक इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत अपेक्षाओं को पूरा कर दिया गया है, तो आवेदक को भुगतान प्रणाली शुरू करने या चलाए रखने के लिए फार्म 'आ' में प्राधिकृति प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जिसमें यह निर्दिष्ट होगा कि प्राधिकृति किस तारीख से प्रभावी होगी,
- (2) प्राधिकृति प्रमाणपत्र जारी करते समय बैंक द्वारा यथोचित समझी गई शर्तें लगाई जा सकती हैं, और इस प्रकार से प्राधिकृत किया जाना, इन शर्तों को पूरा करने पर ही लागू रहेगा।
- (3) बैंक द्वारा प्राधिकृत प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट किए अनुसार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (ग) में बताए अनुसार प्राधिकृति को लागू रखने के लिए शुल्क लगाया जा सकता है।
- (4) यदि बैंक द्वारा भुगतान प्रणाली के सही संचालन के लिए जरूरी समझा जाए तो बैंक द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट किए अनुसार अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के तहत आवेदक से सुरक्षा राशि मांगी जा सकेगी।

अध्याय III

भुगतान अनुदेश और मानकों का निर्धारण

5. अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (क) से (च) तक विनिर्दिष्ट भुगतान अनुदेशों के फॉर्मेट और अन्य मामलों के संदर्भ में प्रत्येक प्रणाली प्रदाता समय-समय पर यथासंशोधित तथा अनुसूची में यथानिर्धारित विनियमों, दिशानिर्देशों और अनुदेशों से नियंत्रित होगा।

अध्याय IV

विवरणी, दस्तावेज़ और अन्य सूचना प्रस्तुत करना

6. विवरणियों, दस्तावेज़ों, आदि की प्रस्तुति:

- (1) प्रत्येक प्रणाली प्रदाता बाध्य होगा कि बैंक को वे सभी विवरणियाँ, दस्तावेज़ और अन्य सूचना प्रस्तुत करें, जो बैंक द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों।
- (2) उपर्युक्त सामान्यताओं के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रत्येक प्रणाली प्रदाता द्वारा बैंक में निम्नलिखित विवरणियाँ/दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाएंगे:-
- (क) मासिक विवरणी - इलेक्ट्रॉनिक फार्म या पेपर फॉर्मेट या दोनों ही प्रकार से जिसमें प्रचालित भुगतान प्रणाली में सहभागियों की संख्या, प्रोसेस किए गए भुगतान अनुदेश - मात्रा और मूल्य दोनों ही प्रकार से - और लौटाए गए अनुदेशों की संख्या का कारण सहित उल्लेख किया गया हो;

- (ख) प्रणाली में सहभागियों द्वारा भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के विवरण, चूक होने की तारीख को इनकी रिपोर्ट की जाए।
- (ग) प्रणाली सहभागियों द्वारा भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के विवरण देते हुए मासिक विवरणी।
- (घ) बैंक से तिमाही प्रमाणपत्र जिसमें उनके पास प्रणाली प्रदाता के खाते के संचालन का उल्लेख हो।
- (ङ.) प्रणाली प्रदाता और सहभागियों या सहभागियों के बीच किसी भी विवाद के बारे में तिमाही विवरण।
- (च) स्टाफ संख्या, आय और व्यय के बारे में वार्षिक विवरण।
- (छ) प्रणाली प्रदाता वार्षिक विवरण जिसमें प्रदाता के निदेशक बोर्ड या साझेदारों में परिवर्तनों, यथा स्थिति अनुसार, शेयर धारिता के पैटर्न में बदलाव जिससे किसी व्यक्ति या समूह की कुल शेयर-धारिता प्रणाली प्रदाता की चुकता पूंजी के 5 प्रतिशत या इससे अधिक हो गई हो, और मेमोरेन्डम या आर्टिकल्स ऑफ एसोशिएशन में परिवर्तनों का विवरण हो।

(3) उप-विनियम (2) के खंड (क) से (छ) में उल्लिखित विवरणियों और दस्तावेजों को बैंक द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट रूप में प्रणाली प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) उप-विनियम (1) तथा उप-विनियम (2) के खंड (क) से (ज) के अधीन उल्लिखित विवरणियां तथा दस्तावेज प्रणाली प्रदाता द्वारा अपने पंजीकृत कार्यालय से मुंबई में स्थित बैंक के कार्यालय को (भुगतान तथा निपटान प्रणाली विभाग, केन्द्रीय कार्यालय) प्रस्तुत किए जाएंगे।

बशर्ते किसी भी समय बैंक यह निदेश दे सकता है कि विनियम उप-विनियम (1) तथा उप-विनियम (2) के खंड (क) से (छ) के अधीन उल्लिखित विवरणियां तथा दस्तावेज बैंक के किसी भी अन्य कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे जो बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

7. लेखे और तुलनपत्र प्रस्तुत करना

(1) प्रत्येक प्रणाली प्रदाता अपने वार्षिक लेखों को बंद करने और संतुलित करने की तारीख से तीन महीने के भीतर संबंधित वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार अपने लेखा परीक्षित तुलन पत्र की प्रति तथा उसके साथ लाभ और हानि लेखा की प्रति और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की प्रति बैंक को प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते, प्रणाली प्रदाता द्वारा आवेदन करने पर बैंक विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए उपर्युक्त तीन महीने की अवधि को और तीन महीने से अनधिक की अवधि तक बढ़ा सकता है।

(2) प्रणाली प्रदाता उप-विनियम (1) के अधीन बैंक को प्रस्तुत किए गए तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखे और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की प्रति किन्हीं दो अग्रणी समाचारपत्रों, एक हिंदी में और दूसरा अंग्रेजी में, भी प्रकाशित करेगा। या उन्हें बैंक को प्रस्तुत करने की तारीख से एक महीने के भीतर अपनी वेबसाइट पर उसकी प्रति रखेगा।

फार्म 'अ'

(विनियम 3(2) देखें)

भुगतान प्रणाली स्थापित करने के प्राधिकार के लिए आवेदन फार्म

प्रेषक :

पंजीकृत कार्यालय का नाम और पता/आवेदक के कारोबार का प्रमुख स्थान
(संश्लेषण सहित पंजीकृत डाक/दस्ती सुपुर्दगी)

प्रति:

मुख्य महाप्रबंधक
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
भारतीय रिजर्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
14वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगतसिंह मार्ग
मुंबई-400 001

महोदय

भुगतान प्रणाली स्थापित करने के प्राधिकार के लिए आवेदन

हम एतद्द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा (5) की उप-धारा (1) के अधीन भुगतान प्रणाली स्थापित करने के प्राधिकार के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं। आवश्यक सूचना और दस्तावेज अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

हम यह घोषणा करते हैं कि हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार, संलग्न विवरणों/अनुलग्नकों में दी गई सूचना सत्य/सही और पूर्ण है।

आवेदन के साथ अप्रतिदेय आवेदन शुल्क के रूप में 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये मात्र) का इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण लेनदेन सं..... या चेक या भुगतान आदेश या मांग ड्राफ्ट सं.
.....दिनांक..... संलग्न है।

भवदीय

हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

कंपनी सील

स्थान तथा तारीख

अनु.:पृष्ठ

भुगतान प्रणाली स्थापित करने के प्राधिकार के लिए आवेदन

भाग-क

1. आवेदक का नाम :
2. आवेदक का संघटन :
 - (क) क्या आवेदक कोई कंपनी या फर्म या कोई अन्य इकाई है;
 - (ख) यदि आवेदक कोई कंपनी है, तो क्या वह निजी लिमिटेड कंपनी है या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है;
 - (ग) यदि आवेदक कोई अन्य इकाई है, तो उसका उल्लेख करें जिसके अधीन वह निगमित/स्थापित की गई है।
3. पंजीकृत कार्यालय और प्रमुख कार्यालयों का पता (यदि आवेदक कोई कंपनी है);
4. कारोबार का प्रमुख स्थान और पता (यदि आवेदक कोई फर्म या कोई अन्य इकाई है);
5. यदि आवेदक कोई फर्म है, तो भागीदारों के नाम, राष्ट्रीयता और पते; (भागीदारी विलेख की प्रति संलग्न की जाए)
6. यदि आवेदक कोई कंपनी है तो निगमन की तारीख;
7. कारोबार प्रारंभ करने की तारीख
(संस्था के अंतर्नियमों और बहिर्नियमों की प्रतिलिपि संलग्न की जाए)
8. यदि आवेदक कोई अन्य इकाई है, तो उसके प्रत्येक निदेशक /प्रबंधक /प्रमुख अधिकारी का नाम, राष्ट्रीयता और पता;
9. आवेदक कंपनी/फर्म/अन्य इकाई का प्रमुख कारोबार;
10. सहायक कंपनियों/सहयोगी फर्मों/अन्य सहयोगी इकाइयों का नाम और पता;
11. यदि आवेदक कोई कंपनी/फर्म/अन्य इकाई है, तो प्रबंधकीय सूचना :
 - (क) मुख्य कार्यपालक का नाम
 - (ख) मुख्य कार्यपालक की आयु, राष्ट्रीयता, अर्हताएं और अनुभव
 - (ग) आवेदक कंपनी में मुख्य कार्यपालक और निदेशकों द्वारा धारित शेयर
12. सांविधिक लेखा परीक्षकों के नाम और उनके कारोबारी पते :

(पिछले तीन वर्षों के लिए आवेदक के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण की प्रतिलिपि संलग्न करें);

13. आवेदक के बैंकों का नाम और पता;

14. क्या आवेदक ने किसी बैंक या संस्था से लिए गए ऋण, अग्रिम या किसी ऋण सुविधा की चुकौती में कोई चूक की है, यदि हां तो कृपया पूरा विवरण दें :

(आवेदक के खाते के परिचालन तथा उसकी वित्तीय स्थिति के संबंध में मुहरबंद लिफाफे में बैंकर की रिपोर्ट प्रस्तुत करें);

15. आवेदन के साथ जमा कराए गए शुल्क की राशि;

16. शुल्क जमा करने की विधि;

(आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सूचना पत्रक/दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए)

भाग-ख

1. प्रक्रिया प्रवाह, प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, सुरक्षा विशेषताएं, अंतर-परिचालनीयता आदि सहित स्थापित की जाने वाली भुगतान प्रणाली के विवरण (आवश्यकतानुसार अलग नोट में विवरण दिए जा सकते हैं) ;
2. स्थापित की जाने वाली भुगतान प्रणाली को परिचालित करने से वित्तीय प्रणाली/देश को होने वाले लाभ;
3. क्या भुगतान प्रणाली को स्थापित करने में आवेदक के साथ अन्य कंपनियों/फर्मों/ इकाइयों का सहयोग लिया जाएगा;
4. यदि प्रश्न सं.3 का उत्तर हां में है, तो इस प्रकार के सहयोग का पूरा विवरण दें;
5. भुगतान प्रणाली क्षेत्र में आवेदक तथा सहयोगी कंपनियों/फर्मों/इकाइयों का पिछला अनुभव;
6. स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित भुगतान प्रणाली का स्वरूप अर्थात् इलैक्ट्रानिक निधि अंतरण या भुगतान कार्ड आधारित/इंटरनेट आधारित/मोबाइल फोन आधारित;
7. भुगतान प्रणाली किसी विशेष क्षेत्र के लिए होगी या पूरे देश के लिए;
8. क्या प्रस्तावित भुगतान प्रणाली जनसंख्या के किसी विशेष सामाजिक/आर्थिक वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करेगी;

9. भुगतान दावों के निपटान की विधि, नामतः सकल, निवल या सकल और निवल दोनों को मिलाकर;
10. स्थापित की जाने वाली भुगतान प्रणाली के लिए निपटान एजेंट का नाम;
11. क्या गारंटीकृत/सुरक्षित निपटान उपलब्ध कराने के लिए आवेदक या निपटान एजेंट केंद्रीय प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करेगा;
12. खाते में जमा की गई राशि/दी गई निधियां हिताधिकारी को किस दिन उपलब्ध कराई जाएंगी;
13. स्थापित की जाने वाली भुगतान प्रणाली को परिचालित करने में क्या जोखिम होंगे और आवेदक उन्हें कैसे कम करेगा;
14. स्थापित की जाने वाली भुगतान प्रणाली के लिए ग्राहक शिकायत निवारण की कैसी प्रणाली प्रस्तावित है;
15. ग्राहकों की शिकायतों को निपटाने के लिए कितना समय लिया जाएगा
(आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सूचना पत्रक दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए)

भाग-ग

1. भुगतान प्रणाली प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए आवश्यक वित्त की राशि।
2. भुगतान प्रणाली प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए वित्त के स्रोत।
 - (क) अपनी ओर से लगायी जाने वाली प्रस्तावित पूंजी।
 - (ख) बैंकों से प्रत्याशित उधार की राशि।
 - (ग) बैंकों से इतर स्रोतों से उधार की प्रत्याशित राशि।
 (स्रोतों का उल्लेख किया जाए)
3. स्थापित की जानेवाली भुगतान प्रणाली में किए गए निवेश पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर।
4. आवेदक अपने निवेश की वसूली तथा आय का अर्जन कैसे करेगा अर्थात् नकदी प्रवाहों द्वारा या प्रवेश शुल्कों, प्रतिभूति शुल्कों, वार्षिक/परिचालन प्रभारों आदि के द्वारा (कृपया पूरा विवरण दें)
(आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सूचना पत्रक/दस्तावेज संलग्न किये जाएं)

भाग-घ

ऐसी अन्य कोई सूचना जो आवेदक देना चाहे।

फार्म आ

[विनियम 4(1) देखें]

धारा 7(2)

**भारतीय रिज़र्व बैंक
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई**

प्राधिकार का प्रमाणपत्र

सं.

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 7 द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए

..... को इस प्रमाणपत्र के पृष्ठ भाग पर दी गयी शर्तों के अनुपालन के अधीन..... से# के लिए भुगतान प्रणाली/भुगतान प्रणाली* प्रारंभ करने/परिचालित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकार का प्रमाणपत्र दिया जाता है।

मेरे द्वारा

मुंबई में 200. को दिया गया।

()

मुख्य महाप्रबंधक

* जो लागू न हो उसे काट दें।

भुगतान प्रणाली का उल्लेख करें।

शर्तें*

1. प्राधिकार के प्रमाणपत्र या उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि भुगतान प्रणाली प्रदाता के मुख्य परिसर तथा उसके अन्य कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी।
2. भुगतान प्रणाली प्रदाता, भुगतान तथा निपटान अधिनियम, 2007 के उपबंधों, उसके अधीन जारी विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों/दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक के पासरुपये (.....रुपये मात्र) की राशि प्राधिकार शुल्क के रूप में जमा करायी गयी है।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक के पासरुपये (.....रुपये मात्र) की राशि जमानत राशि के रूप में जमा करायी गयी है।
5. (ऐसी कोई अन्य शर्तें जो विनिर्दिष्ट की जाएं)

* जो लागू न हो उसे काट दें।

अनुसूची

[विनियम 5 देखें]

1. बैंकों के समाशोधन गृहों के लिए एकसमान विनियम तथा नियम
2. माइक्र प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए मशीनीकृत चेक प्रोसेसिंग के संबंध में क्रियाविधि के दिशानिर्देश
3. इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन) के संबंध में क्रियाविधि के दिशानिर्देश
4. इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (नामे समाशोधन) के संबंध में क्रियाविधि के दिशानिर्देश
5. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली के संबंध में क्रियाविधि के दिशानिर्देश
6. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली के संबंध में परिचालन मैनुअल
7. आरटीजीएस (सदस्यता) विनियम, 2004
8. आरटीजीएस (सदस्यता) कारोबार परिचालन दिशानिर्देश, 2004
9. चेक ट्रन्केशन प्रणाली (सीटीएस) (1.1 वर्जन) के लिए क्रियाविधि के दिशानिर्देश
10. भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (क्लिअरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) के उप विधि नियम तथा विनियम।
11. बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जानेवाले अन्य अनुदेश।

**RESERVE BANK OF INDIA
NOTIFICATION**

Mumbai, the 12th August, 2008

DPSS/194/02-11-01/2007-2008.—In pursuance of sub-section (1) of section 38 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), the Reserve Bank hereby publishes the annexed Payment and Settlement Systems Regulations, 2008, which shall come into force from the date on which the provisions of Section 38 of the said Act are brought into force by the Central Government.

G. GOPALAKRISHNA, Executive Director
[ADVT III/IV/Exty./187 J/08]

ANNEX**Payment and Settlement Systems Regulations, 2008**

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (b) to (f) of sub-section (2) of Section 38 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), the Reserve Bank of India hereby makes the following regulations, namely:-

**Chapter I
Preliminary**

1. Short title and commencement :- (1) These Regulations may be called the Payment and Settlement Systems Regulations, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :-

(1) In these regulations, unless, the context otherwise requires :-

(a) 'Act' means the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007);

(b) 'Bank' means the Reserve Bank of India constituted by the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

(c) 'Authorisation Certificate' means the Certificate containing the authorisation issued by the Bank under sub-section (1) of Section 7 of the Act.

(2) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act or the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

Chapter II Authorisation of Payment Systems

3. Submission of application for authorization for commencing or carrying on a payment system -

- (1) Every person desirous of commencing or carrying on a payment system (hereinafter referred to as 'applicant') shall submit an application under sub-section (1) of Section 5 of the Act to the Bank for grant of authorization under sub-section (1) of section 7 of the Act.
- (2) The application under sub-regulation (1) shall be made in Form A addressed to the Chief General Manager of Department of Payment and Settlement Systems at Central Office of the Bank at Mumbai, or to such other office or officer of the Bank as may be specified by it in this behalf.
- (3) The application under sub-regulation (1) shall be accompanied by a non-refundable fee of Rs.10,000/- in the form of cash or electronic funds transfer or cheque or payment order or demand draft drawn in favour of the Bank.

4. Grant of Authorisation Certificate :-

- (1) On consideration of the particulars furnished by the applicant, if the Bank is satisfied that the requirements under sub-section (1) of Section 7 of the Act are fulfilled, it may issue an authorisation certificate in Form 'B' to the applicant to commence or carry on a payment system and specify the date on which the authorisation shall take effect.
- (2) The Bank, while granting authorization, may impose such conditions as it may deem fit, and the authorization so

granted shall be in force subject to satisfaction of such conditions.

- (3) The Bank may levy such amount as may be specified by it in the authorisation certificate, towards fees for authorization to be in force under clause (c) of sub-section (2) of Section 7 of the Act.
- (4) Where the Bank considers it necessary for the proper conduct of the payment system, it may require the applicant to furnish a security deposit under clause (d) of sub-section (2) of Section 7 of the Act, of such amount as may be specified by the Bank from time to time.

Chapter III

Payment Instructions and Determination of Standards

5. Every system provider, with respect to the format of payment instructions and other matters specified in clauses (a) to (f) of sub-section (1) of Section 10 of the Act, shall be governed by the regulations, guidelines and instructions, set out in the Schedule, as modified from time to time.

Chapter IV

Furnishing of Returns, documents and other information

6. Submission of Returns, documents etc. -

- (1) Every system provider shall be bound to submit to the Bank such returns, documents and other information as may be required by the Bank from time to time.
- (2) Without prejudice to the generality of the above, every system provider shall submit the following returns/documents to the Bank, namely:-

- (a) Monthly return, either in electronic form or paper format or both, containing the number of participants in the payment system operated, payment instructions processed, both in terms of volume and value, and number of instructions returned, with reasons.
 - (b) Details of the defaults in fulfilling the payment obligations by the system participants to be reported on the date of occurrence.
 - (c) Monthly return containing the details of the defaults in fulfilling the payment obligations by the system participants.
 - (d) Quarterly certificate from the bankers about functioning of system provider's account with them.
 - (e) Quarterly statement regarding any disputes between participants or between participants and the system provider.
 - (f) Annual return relating to the staff strength, income and expenditure.
 - (g) Annual return from the system provider showing changes in its Board of Directors or partners, as the case may be, changes in shareholding pattern whereby the aggregate shareholding of an individual or a group becomes equivalent to 5 % or more of the paid up capital of the system provider and changes in Memorandum or Articles of Association of the system provider.
- (3) The returns and documents referred to in clauses (a) to (g) of sub-regulation (2) shall be submitted by the system provider in the form specified by the Bank from time to time.

- (4) The returns and documents under sub-regulation (1) and those referred to in clauses (a) to (g) of sub-regulation (2) shall be submitted by the system provider from its registered office to the office of the Bank (Department of Payment and Settlement Systems, Central Office) situated in Mumbai.

Provided that the Bank may at any time, direct that the returns and documents under sub-regulation (1) and those referred to in clauses (a) to (g) of sub-regulation (2) be submitted to any other office of the Bank as may be specified.

7. Furnishing of accounts and balance sheets:

- (1) Every system provider shall furnish to the Bank within three months from the date on which its annual accounts are closed and balanced, a copy of its audited balance sheet as on the last date of the relevant year together with a copy of the profit and loss account for the year and a copy of the Auditor's report.

Provided that the Bank may, on an application made by the system provider, extend the said period of three months for furnishing of returns by a further period not exceeding three months.

- (2) The system provider shall also publish, a copy of its balance sheet, profit and loss account and Auditor's report submitted to the Bank under sub-regulation (1), in any two leading newspapers, one in English and the other in Hindi, or place a copy of the same on its website within a period of one month from the date of submission of the same to the Bank.

Form A

[See regulation 3(2)]

APPLICATION FORM FOR AUTHORISATION TO SET UP PAYMENT SYSTEM

From

Name and address of registered office/ principal place of business of applicant
(By Registered Post AD/ Hand Delivery)

To

Chief General Manager
Department of Payment and Settlement Systems
Reserve Bank of India
Central Office
14th Floor RBI Central Office Building
Shaheed Bhagat Singh Marg
Mumbai -400001

Dear Sir,

Application for authorization for setting up a payment system

We hereby submit an application under sub-section(1) of Section 5 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 for authorization to set up a payment system. The required information and documents have been furnished as per instructions.

We declare that to the best of our knowledge and belief the information furnished in the statements/annexes enclosed are true/correct and complete.

A electronic funds transfer transaction No..... or cheque or payment order or demand draft no: dated for an amount of Rs 10,000 (Rupees Ten Thousand only) as non-refundable application fees is enclosed with the application.

Yours faithfully

Signature:

Name:

Designation:

Company Seal:

Date and Place:

Encl: sheets

APPLICATION FOR AUTHORISATION TO SET UP PAYMENT SYSTEM**PART – A**

1. Name of applicant :
2. Constitution of applicant :
 - (a) Is the applicant a company or firm or any other entity:
 - (b) If the applicant is a company, is it a private limited company or public limited company :
 - (c) If the applicant is any other entity please specify the statute under which it is incorporated/established
3. Address of Registered Office and Principal Offices (if applicant is a company):
4. Principal place of business and address (if applicant is a firm or any other entity)
5. If applicant is a firm, names, nationality and addresses of the partners :
(Copy of Partnership Deed to be enclosed)
6. Date of incorporation of applicant if it is a company :
7. Date of commencement of business :
(Memorandum of Articles and Association to be enclosed)
8. If the applicant is any other entity, name, nationality and address of each of its directors/managers/principal officers:
9. Main business of the applicant company /firm / other entity:
10. Names and addresses of subsidiary companies/ associated firms / other associated entities :

11. Management information, if applicant is a company / firm / any other entity:

(a) Name of Chief Executive :

(b) Age, Nationality, Qualifications and Experience of Chief Executive :

(c) Shares held by the Chief Executive and Directors in the applicant company .

12. Name of the statutory auditors and their business address:

(Attach the audited balance sheet, profit and loss statement of applicant for the last three years)

13. Name and address of bankers of the applicant:

14. Whether the applicant has committed any default in repayment of loan, advance or any credit facility taken from a bank or financial institution, if so please mention full particulars :

(Attach a bankers' report on the functioning of the applicant account and its financial health in sealed cover(s)):

15. Amount of fees deposited along with application

16. Mode of deposit of fees :

(Additional information sheets/documents as required may be enclosed)

PART – B

1. Particulars of Payment System sought to be set up (full details to be furnished) including process flow, technology to be used, security features, inter-operability etc (details can be given in a separate note, if required) :

2. Expected benefits to the financial system/ country from the operationalisation of the payment system sought to be set up :
3. Whether other companies/firms/ entities will be associated with the applicant in setting up the payment system :
4. If the answer to query 3 is yes, please furnish full particulars of this association:
5. Previous experience of applicant and associated companies/firms/entities in the payment systems area:
6. Type of payment system proposed to be set up i.e. whether electronic fund transfer or payment card based/ internet based/ mobile phone based:
7. Whether the payment system will cover a particular region or the whole country:
8. Does the proposed payment system seek to address the needs of any particular social/ economic segment/s of the population :
9. Method of settlement of payment claims, namely whether gross, net or a hybrid method combining both gross and net methods:
10. Name of the settlement agent for the payment system sought to be set up:
11. Whether the applicant or settlement agent will act as a central counterparty to provide guaranteed/ secured settlement
12. On which day will be the account credited / funds made available to the beneficiary:
13. What will be the risks in operating the payment system sought to be set up and how does the applicant propose to mitigate them :

14. Mention the customer grievances redressal machinery proposed for the payment system sought to be set up :

15. The time proposed to be taken to dispose customer complaints :

(Additional information sheets/documents as required may be enclosed)

PART -C

1. Amount of finance required for executing payment system project :

2. Sources of finances for executing the payment system project :

(a) Amount of own capital proposed to be deployed :

(b) Amount of borrowings expected from banks;

(c) Amount of borrowing expected from sources other than banks::

(Sources may be mentioned)

3. Rate of return on investment expected from the payment system sought to be set up :

4. How does the applicant propose to recover its investment and earn an income, that is , whether through cash flows or by levying joining fees, security fees, annual/ operating charges etc.(Please give full details) :

(Additional information sheets/documents as required may be enclosed)

PART- D

Any other information the applicant wishes to furnish

Form B

[See regulation 4(1)]

(Section 7(2))

RESERVE BANK OF INDIA**DEPARTMENT OF PAYMENT AND SETTLEMENT SYSTEMS****CENTRAL OFFICE****MUMBAI**

(RBI Seal)

CERTIFICATE OF AUTHORISATION**No:**

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 7 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007

.....
Is hereby granted

Certificate of Authorisation

To commence /operate *a payment system / *a payment system for..... #, with effect from....., subject to compliance with the terms and conditions given on the reverse of this Certificate.

Given under my hand

At Mumbai on this.....day of
.....200.

RBI Seal

Signature
()
Chief General Manager

* Strike off whichever is not applicable
specify the payment system

Terms and Conditions*

1. The Certificate of Authorisation or a certified copy thereof shall be displayed at the main premises of the Payment System Provider and its other offices.
2. The Payment System Provider shall adhere to the provisions of the Payment and Settlement Systems Act, 2007, regulations issued thereunder and the directions/guidelines issued by the Reserve Bank of India.
3. A sum of Rs(Rupees.....only) is deposited as authorization fees with the Reserve Bank of India.
4. A sum of Rs (Rupeesonly) is deposited as security deposit with the Reserve Bank of India
5. (Any other condition as may be specified)

*Strike off whichever is not applicable

Schedule

[See regulation 5]

1. Uniform Regulations and Rules for Bankers' Clearing Houses
2. Procedural Guidelines on Mechanised Cheque Processing Using MICR Technology
3. Procedural Guidelines on Electronic Clearing Service (Credit Clearing)
4. Procedural Guidelines on Electronic Clearing Service (Debit Clearing)
5. Procedural Guidelines on National Electronic Funds Transfer System
6. Operational Manual on National Electronic Funds Transfer System
7. RTGS (Membership) Regulations, 2004
8. RTGS (Membership) Business Operating Guidelines, 2004
9. Procedural Guidelines for Cheque Truncation System (CTS) (Version 1.1).
10. Bye Laws, Rules and Regulations of the Clearing Corporation of India Limited.
11. Such other instructions as may be specified by the Bank from time to time.

भारतीय रिजर्व बैंक
अधिसूचना
मुम्बई 12 अगस्त, 2008

मुनिप्रवि194/02-11-01/2007-2008.—रिजर्व बैंक भुगतान प्रणालियों के परिचालनगत पहलुओं, प्रणालीबद्ध निहितार्थों और दक्ष परिचालन पर विचार करते हुए और इस तथ्य से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जरूरी है, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा-4 की उपधारा (1) के खंड (घ) के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस बारे में सक्षमता प्रदान करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे :

- (क) अंतर बैंक लेनदेनों के सम्बन्ध में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) में यथा परिभाषित - "बैंक";
- (ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 में यथा परिभाषित - "क्लीयरिंग हाउस" जिसे भारतीय स्टेट बैंक, इसके सहायक बैंक और तदनु रूप नए बैंक द्वारा संचालित किया जा रहा है; और
- (ग) डाक विभाग, भारत सरकार को उनकी भुगतान प्रणालियों के संबंध में।

2. उपर्युक्त छूट के बावजूद, उक्त खंड (क) से (ग) में यथा उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) के प्रयोजन से प्राधिकृत भुगतान प्रणाली माना जाएगा और उस अधिनियम के अन्य सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

जी. गोपालकृष्णा, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन III/IV/असा./187-जे/08]

RESERVE BANK OF INDIA
NOTIFICATION

Mumbai, the 12th August, 2008

DPSS/194/02-11-01/2007-2008.—The Reserve Bank, considering the operational aspects, systemic implications and efficient operation of the payment systems, on being satisfied that it is necessary so to do, in exercise of its powers conferred under clause (d) of sub-section (1) of Section 4 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the provisions of sub-section (1) of Section 4 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007) shall not apply to :

- (a) a "bank", as defined in clause (a) of sub-section (1) of Section 2 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), in respect of intra-bank transactions;

- (b) a "clearing house". run by State Bank of India, subsidiary bank and a corresponding new bank as defined in Section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949); and
- (c) the Department of Posts, Government of India, in respect of their payment systems.
2. Notwithstanding the aforesaid exemption, the payment systems operated by the persons as mentioned in clauses (a) to (c) above, shall be deemed to be authorised payment systems for the purposes of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007) and all other provisions of that Act shall apply accordingly.

G. GOPALAKRISHNA, Executive Director
[ADVT III/IV/Exty./187 J/08]

भारतीय रिज़र्व बैंक
अधिसूचना
मुम्बई 12 अगस्त, 2008

भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड)

विनियम, 2005 को रद्द करना

भुनिप्रवि194/02-11-01/2007-2008.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के खंड 58 के उप खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त कर लेने के बाद, एतद्द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक सं.डीआइटी(सीओ).2005/ 09.63.01/2004-05 दिनांक 18 फरवरी 2005 की अधिसूचना के अधीन भारत के राजपत्र भाग-III, खंड 4 में प्रकाशित भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड) विनियम 2005 को तुरंत प्रभाव से रद्द करता है :

बशर्ते इस प्रकार रद्द करने से -

- (i) उक्त विनियमों के विगत परिचालन या उक्त विनियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई या किया गया या की गयी के रूप में मान लिया गया या न किया गया, या
- (ii) उक्त विनियमों के अधीन प्राप्त या उपचित या लिया गया कोई अधिकार, विशेषाधिकार, उत्तर दायित्व या देयता; या
- (iii) ऊपर कहे गये अनुसार, किसी अधिकार, विशेषाधिकार, उत्तरदायित्व या देयता के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही या निवारण को प्रारंभ करना, जारी रखना या प्रवर्तन करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जी. गोपालकृष्णा, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन III/IV/असा./187-जे/08]

**RESERVE BANK OF INDIA
NOTIFICATION**

Mumbai, the 12th August, 2008

**Repeal of Reserve Bank of India (Board for Regulation and Supervision of
Payment and Settlement Systems) Regulations, 2005**

DPSS/194/02-11-01/2007-2008.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India, having received the sanction of the Central Government, hereby repeals with immediate effect the Reserve Bank of India (Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems) Regulations, 2005 published in Part-III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary under Notification of the Reserve Bank of India No. DIT (CO), 2005/09.63.01/2004-05 dated the 18th February 2005:

Provided that such repeal shall not affect—

- (i) the previous operation of the said regulations or anything done or any action taken or purported to have been done or taken or omitted to be done under the said regulations or
- (ii) any right, privilege, obligation or liability acquired or accrued or incurred under the said regulations; or
- (iii) the institution, continuance or enforcement of any legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation or liability as aforesaid.

G. GOPALAKRISHNA, Executive Director
[ADVT III/IV/Exty./187 J/08]